कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—उनि / सशि / एफ—501 / निशु / पापु / 2026—27 /   दिनांक—यथा हस्ताक्षर

1. **समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।**
2. **समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।**

विषयः—शैक्षिक सत्र 2026—27 के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य—पुस्तकों के वितरण बाबत आवश्यक दिशा—निर्देश।

प्रसंगः—राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर का पत्रांक एफ—4 / बिक्री / रारापाम / 2026 रेफरेन्स न.—20542412 दिनांक – 14.02.2026।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षिक सत्र 2026—27 हेतु राजकीय विद्यालयों व मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 09 से 12 तक की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्रों तथा वे छात्र जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं है, को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। **शाला दर्पण पोर्टल पर पीईईओ / यूसीईओ (नोडल केन्द्र) की प्रविष्ठ सूचना के आधार पर इस कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग के अनुरूप,** राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, द्वारा अनुबंधित परिवहन संवेदकों के माध्यम से **पीईईओ / यूसीईओ विद्यालयों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का** वितरण किया जाना है।

निर्धारित नोडल (पीईईओ / यूसीईओ) केन्द्रों पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने का कार्यक्रम पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा अजमेर, अलवर, बाडमेर, बासंवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चुरू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर, नागौर एवं उदयपुर में दिनाक 05.03.26 एवं बारां, बूंदी, चित्तौडगढ, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झूंझुनू, करौली, कोटा, पाली, राजसंमद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक, प्रतापगढ, डीग, खैरथल—तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना—कुचामन, फलोदी, ब्यावर, बालोतरा एवं सलूम्बर में दिंनाक 10.03.26 से प्रस्तावित है। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग के आधार पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा जारी आवंटन के अनुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला प्रभारी, पाठ्य पुस्तक मण्डल के संबंधित जिला डिपो प्रभारी से समन्वय स्थापित कर मण्डल के वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों को ब्लॉक प्रभारियों के माध्यम से पीईईओ / यूसीईओ केन्द्रों तक वितरण कार्य योजना शीघ्र तैयार कर इस कार्यालय को दिनांक 28.02.26 तक सूचित करते हुए निर्धारित अवधि मे वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करें। पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रथम चरण अजमेर, अलवर, बाडमेर, बासंवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चुरू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर, नागौर एवं उदयपुर दिनांक 05.03.26 से 25.03.26 तक एवं बारां, बूंदी, चित्तौडगढ, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झूंझुनू, करौली, कोटा, पाली, राजसंमद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक, प्रतापगढ, डीग, खैरथल—तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना—कुचामन, फलोदी, ब्यावर, बालोतरा एवं सलूम्बर दिंनाक 10.03.26 से 25.03.26 तक की अवधि में ही पूर्ण करें। प्रथम चरण की समाप्ति उपरांत वितरण केन्द्रों में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता अनुसार द्वितीय चरण निर्धारित किया जाएगा।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के समयबद्ध व सुगम वितरण के दृष्टिगत नोडल केन्द्रवार तिथि शीघ्र निर्धारित करते हुए रूट चार्ट पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो प्रभारी को उपलब्ध करावें। उपर्युक्तानुसार निर्धारित दो चरणों में ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

पूर्व सत्रों की भांति प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण का प्रबोधन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार प्रभारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा :—

- मण्डल स्तर पर **अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,** निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु मण्डल प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।
- जिला स्तर पर **सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी**, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के व्यवस्थित वितरण हेतु जिला प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) एवं पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो प्रभारी से समन्वय करते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समयबद्ध एवं व्यवस्थित वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- ब्लॉक स्तर पर **अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय),** कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, निःशुल्क पाठय पुस्तकों के सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु ब्लॉक प्रभारी के रूप में जिला प्रभारी अधिकारी (सहायक निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय) एवं अधीनस्थ पीईईओ / यूसीईओ से समन्वय रखते हुए [illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.02.25 14:45:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20604739

- पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो से पीईईओ/यूसीईओ व विद्यालय तक प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण की प्रविश्टि तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल मे की जानी सुनिश्चित करेंगे।
- डिपों से जारी चालानों पर जारी तिथि में ही प्राप्ति एवं प्रतिहस्ताक्षर की प्रक्रिया सम्बधित द्वारा पूर्ण की जावे। इस कार्य में विलम्ब ना होवे।

शैक्षिक सत्र 2026–27 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुव्यस्थित वितरण के लिए अग्राकिंत बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. **विद्यार्थियों को शैक्षिक सत्र 2025–26 के अध्ययन उपरान्त, अंक तालिका वितरण के साथ ही उनसे उक्त सत्र में वितरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को प्राप्त कर बुक बैंक मे जमा की जावे।**
2. राजकीय विद्यालयों मे अध्ययनरत कक्षा 01 से 05 एवं कक्षा 7 के समस्त विद्यार्थियों को शत–प्रतिशत नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जावे।
3. कक्षा 06 एवं कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा गत सत्र की अध्ययन उपरान्त लौटाई गई पाठ्य पुस्तकों के 50 प्रतिशत का पुनः उपयोग करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को 50 प्रतिशत नई एवं 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जावे।
4. शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु नवीन लागू पाठ्यपुस्तकों का शत प्रतिशत वितरण किया जावें।
5. जिला स्तरीय वितरण केन्द्रों से निर्धारित नोडल (पीईईओ/यूसीईओ) केन्द्रों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का परिवहन कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से करवाया जाना है, जबकि वितरण कार्य पूर्व निर्धारित अनुसार ब्लॉक प्रभारी, मुख्य/अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) द्वारा किया जाना है। व्यवस्थित और निर्धारित समयावधि मे वितरण हेतु जिला डिपो/वितरण केन्द्र पर सीबीईओ/एसीबीईओ द्वारा ही उनके अधीनस्थ पीईईओ/यूसीईओ प्रभारी की मौजूदगी में पुस्तकें प्राप्त की जानी हैं।
6. जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उन विद्यालयों को वितरण भी उसी नोडल विद्यालय द्वारा किया जाएगा। मध्य सत्र में नोडल विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
7. रूट चार्ट में निर्धारित अनुसार प्रथम चरण में ही समस्त नोडल केन्द्रो द्वारा निर्धारित तिथि पर ही पुस्तके प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा इसे कार्य के प्रति लापरवाही माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के संबध में मण्डल मुख्यालय/निदेशालय कों अवगत करवाए।

नोटः–विगत सत्र में प्रचलित पाठ्यपुस्तके जो इस सत्र में उपयोग (पाठ्यक्रमानुसार) में ली जा सकती है, ऐसी पुस्तकों को पुनः उपयोग करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को (कक्षा–01 से 03 तक के विद्यार्थियों को छोडते हुए) 50 प्रतिशत नई एवं 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित किया जाना सुनिश्चित करावें।

ध्यान रहे कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के साथ ही समयबद्ध कार्यक्रम है। अतः उक्त कार्य निर्धारित अवधि में सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण कर सूचना इस कार्यालय की मेल आई.डी. Socialedu.gov@gmail.com पर दिंनाक 27.03.26 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/ प्रारंभिक ।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ, बीकानेर एवं जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.02.25 14:45:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20604739

<u>राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल</u>

2–2,ए झालाना डूंगरी, जयपुर
दूरभाष नं. 0141–2700540 फैक्स 0141–2710362 जी.एस.टी. नं. 08AAAAR6050Q1Z2

<u>परिपत्र</u>

विषय : शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण संबंधी दिशानिर्देश।

शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु राजकीय विद्यालयों व मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाना है। शिक्षा विभाग द्वारा की गई माँग के आधार पर मण्डल द्वारा जारी आवंटन आदेश अनुसार विभिन्न मुद्रकों द्वारा पाठ्यपुस्तकें मण्डल के सभी जिला मुख्यालय अवस्थित वितरण केन्द्रों पर पहुँचाई जा रही हैं। इन वितरण केन्द्रों से यह पाठ्यपुस्तकें शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त ब्लॉक प्रभारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित PEEO एवं शहरी नोडल केन्द्रों पर मण्डल द्वारा अनुबंधित परिवहन संवेदकों के माध्यम से पहुँचाई जावेगी।

इस हेतु तैयार कार्य योजना के निम्नलिखित चरण होंगे :–

1. पाठ्यपुस्तकों का वितरण पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता अनुसार दो चरणों में किया जावेगा प्रथम चरण **<u>05 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026</u>** के दौरान संपादित किया जावेगा। द्वितीय चरण की अवधि का चयन प्रथम चरण की समाप्ति उपरान्त विरतण केन्द्रों में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता अनुसार शिक्षा विभाग से समन्वय कर किया जायेगा।
2. प्रथम चरण की अवधि (**<u>05 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026</u>**) के दौरान पाठ्यपुस्तकों का तिथिवार, नोडल केन्द्रवार मय रूटचार्ट विस्तृत वितरण कार्यक्रम प्रबंधक वितरण केन्द्र द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समन्वय उपरान्त जारी किया जाकर मुख्यालय प्रेषित किया जावेगा।
3. मण्डल के वितरण अजमेर, अलवर, बाडमेर, बॉसवाडा, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर में **दिनांक 05 मार्च से 25 मार्च 2026** तक एवं वितरण केन्द्र बारां, बून्दी, चित्तौडगढ, दौसा, धोलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झून्झुनू, करौली, कोटा, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर,सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक, प्रतापगढ, डीग, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना–कुचामन, फलोदी, ब्यावर, बालोतरा, सलूम्बर में **दिनांक 10 मार्च से 25 मार्च** तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जावेगा।
4. **निःशुल्क वितरण कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन एवं समन्वय हेतु राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निम्नानुसार अधिकारी नियुक्त किये जाएगें :–**

   मण्डल स्तर पर : अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
   जिला स्तर पर : सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
   ब्लॉक स्तर पर : अति. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
   (उक्त में निदेशालय स्तर पर परिवर्तन होने पर तदनुसार अवगत कराया जाएगा)

5. **वितरण कार्य हेतु कार्मिक व्यवस्था एवं केन्द्र खोलने की गतिविधियाँ :–**
   - i. जिला स्तर पर मण्डल कार्मिकों की अत्यधिक रिक्तियों के दृष्टिगत निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सात अनुभवी कार्मिक (अध्यापक/लिपिक/सहायक कर्मचारी) जिला वितरण केन्द्रों पर नियुक्त किये जाएगें। इस संबंध में समन्वय कर आदेश/सूची प्राप्त करें।
   - ii. शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिकों को स्पष्ट कार्य आवंटन किया जाकर दायित्व दिया जाए। उक्त दायित्व निर्धारण के आदेश मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक द्वारा मुख्यालय रूटचार्ट के साथ अनिवार्य रूप से भिजवायें।
   - iii. उक्त प्रतिनियुक्त कार्मिकों को निःशुल्क वितरण कार्यक्रम के आवंटित दायित्व (स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि, शाला दर्पण प्रविष्टि, चालान हस्ताक्षर मय सील की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं अन्य सभी निःशुल्क व बिक्री वितरण के दायित्व) पूर्ण होने के उपरान्त ही का[illegible] किया जावे। क्योंकि निःशुल्क वितरण होने के अगले दिवस ही चालान मुख्यालय अ[illegible] से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeeta Gautam
Designation : Secretary
Date: 2026.02.14 17:42:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20542412

जमा कराने होंगे। निःशुल्क वितरण का कोई भी कार्य अपूर्ण पाये जाने पर संबंधित प्रबन्धक एवं कार्मिक व्यक्तिशः जिम्मेदार होगा।

iv. इन कार्मिकों की सेवाएँ वितरण/विक्रय दोनो में उपयोग में ली जा सकेंगी।

v. राजपत्रित अवकाशों में भी कार्यालय (वितरण केन्द्र) खुले रखे जावें। कार्यक्रम अवधि में कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अतिआवश्यक परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता हो तो सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर से दूरभाष पर व्यक्तिशः अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ेंगें।

vi. निःशुल्क वितरण कार्यक्रम के दौरान पाठ्यपुस्तकों की बिक्री भी निरन्तर जारी रखना सुनिश्चित करेंगें।

6. वितरण कार्यक्रम में दस्तावेज संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश :–

i. निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त माँग के अनुरूप ही पुस्तकों का वितरण किया जावे। पुस्तकें देने से पूर्व मण्डल मुख्यालय द्वारा जारी निःशुल्क वितरण आवंटन आदेश में अंकित पुस्तकों का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अवलोकन करा दिया जावे। आवंटन आदेश में माँग के सापेक्ष पाठ्यपुस्तकों की संख्या में अन्तर की गति हो तो मुख्यालय को तुरन्त सूचित करें।

ii. आवंटन से अधिक पुस्तकें वितरित किये जाने पर समस्त व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधक की होगी।

iii. **कक्षा 1 से 8 की पुस्तकों के डिलीवरी चालान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम एवं कक्षा 9 से 12 की पुस्तकों के डिलीवरी चालान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम की चार प्रतियों में जारी किये जाएं। कार्यालय प्रति पत्रित कर अगले ही कार्यदिवस को मुख्यालय भिजवायें। डिलीवरी चालान पर मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक, पुस्तक प्राप्तकर्ता, ब्लॉक स्तरीय नोडल केन्द्रों के प्रभारी (एसीबीईओ द्वितीय) एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर मय सील वितरण दिवस के दौरान ही अंकित होने चाहिए। साथ ही नोडल केन्द्र के द्वारा जारी डिलीवरी चालान में अंकित स्टॉक पृष्ठ संख्या जिसमें पुस्तकों का इन्द्राज किया गया है एवं परिवहन वाहन के नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किये जायें।**

iv. **इन्हीं में से एक प्रति परिवहनकर्ता फर्म के बिल के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य है। उक्त यथोचित प्रमाणित प्रति के अभाव में प्रस्तुत बिल लेखा व ऑडिट की दृष्टि से अपूर्ण व अस्वीकार्य माना जावेगा।**

v. निःशुल्क वितरण हेतु मुख्यालय द्वारा मूल मांग अनुसार जारी आवंटन आदेश अनुसार ही पुस्तकों का डिलीवरी चालान बनाया जाए। अतिरिक्त मांग के लिये जारी किये गये आवंटन आदेशों की पुस्तकों के डिलीवरी चालान पृथक के से बनाये जावें।

vi. **निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से प्राप्त कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों की मांग की संख्या के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के PEEO वार डिलीवरी चालान तैयार किए जाकर ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करायी जावें। डिलीवरी चालानों में निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के मांग के आदेश क्रमांक को अनिवार्य रूप से उल्लेख करना सुनिश्चित करें।**

vii. मुख्यालय को डिलीवरी चालान आवंटन आदेश क्रमांक (मूल एवं अतिरिक्त) अनुसार पृथक–पृथक भेजे जायें। किसी भी स्थिति में संबंधित आवंटन आदेश उल्लेखित किये बिना पुस्तकों का डिलीवरी चालान जारी नहीं किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeeta Gautam
Designation : Secretary
Date: 2026.02.14 17:42:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20542412

<u>राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल</u>

2–2,ए झालाना डूंगरी, जयपुर

दूरभाष नं. 0141–2700540 फैक्स 0141–2710362 जी.एस.टी. नं. 08AAAAR6050Q1Z2

7. शाला दर्पण संबंधी आवश्यक बिन्दु :–

i. **प्रायः यह देखने में आया है कि शिक्षा विभाग के संबंधित प्रभारियों द्वारा शालादर्पण पर आवश्यक प्रविष्टि समयानुरूप नहीं की जाती हैं, जिससे शासन स्तर पर मॉनीटरिंग कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अतः शासन सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा इसे गंभीरता से लिया है। अतः उक्त कार्य को तत्समय ही पूर्ण किया जावे। मण्डल कार्यालय के जिला स्तरीय वितरण केन्द्रों से PEEO/शहरी नोडल केन्द्रों तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का आवंटन, निर्गम, प्राप्ति एवं अन्य कार्य शालादर्पण पोर्टल के फ्री टैक्सबुक (FTB) मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है। साथ ही जिले के प्रत्येक स्तर (ब्लॉक, नोडल एवं अधीनस्थ विद्यालय) की मॉनीटरिंग आवश्यक रूप से की जावे।**

ii. सत्र 2026–27 हेतु निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त मांग अनुसार जिले में वितरण की जाने वाली पुस्तकों के पुस्तकवार, टाईटलवार आवंटन आदेश मण्डल मुख्यालय से जारी किये जावेंगे। **साथ ही शिक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा वितरण के साथ–साथ शाला दर्पण पर निदेशालय बीकानेर द्वारा आवंटित पुस्तकों की माँग की प्रविष्टि सुनिश्चित की जावे। इसके अभाव में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था एवं अनियमितता के लिए सम्बन्धित की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।**

iii. आवंटन आदेश के अनुसार ही रूटचार्ट के साथ सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से PEEO वार माँग प्राप्त की जाये।

iv. **शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियाँ शिक्षा विभाग के शाला दर्पण प्रभारी द्वारा ही की जानी हैं। उक्त कार्यवाही की पुष्टि/अनुमोदन CDEO द्वारा की जानी है, सुनिश्चित करें।**

v. शाला दर्पण पोर्टल एवं रूटचार्ट अनुसार नोडल केन्द्रों की मांग में अन्तर होने पर यथा समय शाला दर्पण प्रभारी/जिला प्रभारी अधिकारी से मण्डल मुख्यालय द्वारा प्रेषित आवंटन आदेश एवं रूटचार्ट अनुसार संशोधन कराना सुनिश्चित करें। निःशुल्क पुस्तकें वांछित संशोधन उपरान्त ही प्रदाय की जाएं अर्थात किसी भी स्थिति में आवंटन आदेश एवं रूटचार्ट के साथ प्राप्त मांग से अधिक पुस्तकें नोडल केन्द्रों को जारी नहीं की जाएं।

vi. **वितरण उपरांत ब्लॉक प्रभारियों/नोडल केन्द्रों द्वारा स्टॉक प्रविष्टि व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित PEEO वार डिलीवरी चालान उसी कार्यदिवस में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अगले कार्यदिवस में डाक के माध्यम से मुख्यालय भिजवावें। उक्त कार्य प्रतिनियुक्त/आवंटित दायित्व कार्मिक द्वारा ही किया जावे।**
इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

vii. ब्लॉक प्रभारी के हस्ताक्षर मय मोहर (प्राप्तिकर्ता), लैटरपैड एवं पुस्तकों की गणना (काउण्टिंग) वाहन में लोडिंग करने से पूर्व ही कराई जाए, ताकि बाद में गणना सबंधी जटिलतायें उत्पन्न न हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeeta Gautam
Designation : Secretary
Date: 2026.02.14 17:42:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20542412

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल

2–2,ए झालाना डूंगरी, जयपुर

दूरभाष नं. 0141–2700540 फैक्स 0141–2710362 जी.एस.टी. नं. 08AAAAR6050Q1Z2

8. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु परिवहन व्यवस्था :–

i. **जिला स्तरीय वितरण केन्द्रों से ग्राम पंचायत स्थित पी.ई.ई.ओ./शहरी निर्धारित नोडल केन्द्रों तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का परिवहन कार्य मण्डल कार्यालय द्वारा अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से करवाया जाना है, जबकि वितरण कार्य पूर्व निर्धारित अनुसार ब्लॉक प्रभारी – मुख्य/अति.मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना होगा अर्थात सुगमता व व्यवस्था के दृष्टिगत वितरण केन्द्र पर CBEO/ACBEO द्वारा ही उनके अधीनस्थ PEEO की पुस्तकें प्राप्त की जानी है। CBEO/ACBEO (ब्लॉक प्रभारी) अपने सहयोगार्थ सम्बन्धित PEEO's को व्यवस्था हेतु बुला सकेंगे, ताकि ACBEO व PEEO के मध्य पुस्तकों के आदान–प्रदान की सुगम व्यवस्था स्थापित रहेगी व वाहनों की अनलोडिंग के समय अतिरिक्त समय हेतु न रोका जाए।**

ii. **संबंधित PEEO से आने वाले किसी भी प्रतिनिधि को लोडिंग पुस्तकों के अनुबंधित वाहन से यात्रा करना/पर बैठना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।**

iii. अनुबंधित परिवहनकताओं को निर्धारित नोडल केन्द्रों पर परिवहन की प्रस्तावित तिथियों की अग्रिम रूप से जानकारी दी जाए, ताकि समय पूर्व परिवहन व्यवस्था हो सके।

iv. परिवहन हेतु उपयुक्त वाहनों का चयन परिवहन की जाने वाली पुस्तकों के वजन के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद रूप से किया जाए।

v. रूटचार्ट इस प्रकार तय किया जाए कि एक बड़े वाहन से एकाधिक PEEO केन्द्र तक वितरण हो सके। इस हेतु एक दिशा स्थान वाले विद्यालयों को एक साथ रखा जाए।

vi. सभी मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक PEEO वार पुस्तकों की Staching/पैकेट तैयार करने का कार्य अनुबंधित परिवहनकर्ता के सहयोग से व्यवस्थित व समयबद्ध रूप से कराएं ताकि वितरण कार्यक्रम प्रभावित न हो।

vii. CDEO के साथ तय रूटचार्ट के अनुसार आवंटित पुस्तकों की संख्या के आधार पर वजन का अनुमान करते हुए अनुबंधित परिवहनकर्ता को पूरे वितरण कार्यक्रम हेतु निर्धारित वजन के वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचना तिथिवार उपलब्ध कराएं तथा यथा संभव तय कार्यक्रम में परिवर्तन न किया जाए।

viii. एकाधिक अनुबन्धित परिवहनकर्ता होने पर मूल न्यूनतम दरदाता से ही कार्य कराया जाए। उसके द्वारा किसी दिवस विशेष/एक वाहन श्रेणी विशेष का वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त करने पर ही अन्य अनुबन्धित फर्म से वाहन लिया जाए।

ix. अनुबन्धित परिवहनकर्ता द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर प्रबन्धक बाजार दर पर वाहन प्राप्त कर निःशुल्क वितरण कार्य कर सकेगा।

10. अन्य :–

i. जिला कार्यालयों में संविदा व जॉब बेसिस पर उपलब्ध मानव श्रम का सर्वाधिक लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जाए व इस सन्दर्भ में मण्डल की स्वीकृति की अक्षरशः पालना की जाए।

ii. सर्दी के मौसम को देखते हुए आवश्यकतानुसार ही छाया (टैन्ट) व जल की व्यवस्था मुख्यालय की स्वीकृति तक रखी जाए।

iii. निर्धारित अवधि में ही समस्त पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

इन दिशानिर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाए।

Signature Not Verified

(रंजीता गौतम)

सचिव

Digitally signed by Ranjeeta Gautam
Designation : Secretary
Date: 2026.02.14 17:42:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20542412

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल

2–2,ए झालाना डूंगरी, जयपुर
दूरभाष नं. 0141–2700540 फैक्स 0141–2710362 जी.एस.टी. नं. 08AAAAR6050Q1Z2

क्रमांकः एफ–4/बिक्री/रारापाम/2026/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, अध्यक्ष, शाषी परिषद्, मण्डल एवं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सभापति, निष्पादक परिषद् एवं शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान।
3. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को उपर्युक्तानुसार अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देशित किये जाने हेतु।
4. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
5. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, संस्थापन एवं स्टोर शाखा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क एवं बिक्री वितरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु सहयोगार्थ आवश्यक स्वीकृति तीन दिवस में जारी कर संबंधित शाखा को अवगत करावें।
7. समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर को सूचनार्थ।
8. समस्त मुख्य प्रबन्धकों/प्रबन्धकों को समस्त दिशा निर्देशों की पालना हेतु।
9. निदेशक, संस्कृत शिक्षा एवं सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर राजस्थान जयपुर को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर निर्धारित तिथि पर पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने हेतु।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)।
11. रक्षित पत्रावली।

(अतुल खेण्डेलवाल)
मुख्य लेखाधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeeta Gautam
Designation : Secretary
Date: 2026.02.14 17:42:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20542412